

# ग्रामीण सेवा शिविर-2025

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर (राज.)

1. उमेश कुमार पुत्र बीरबल जाति बलाई निवासी दयाल की नांगल तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज0।

—प्रार्थीगण

## बनाम

1. तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम

मुकदमा नम्बर 716/2025  
जीसीएमएस नं0 2025/1388


## आदेश

दिनांक - 14/11/2025

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना एवं संलग्न दस्तावेजात तन ग्राम दयाल की नांगल पटवार हल्का दयाल की नांगल तहसील नीमकाथाना के खाता संख्या 139 में प्रार्थी का गलत दर्ज नाम/जाति "उमेश कुमार पुत्र बीरबल, जाति जाट" के स्थान पर सही व वास्तविक नाम "उमेश कुमार पुत्र बीरबल, जाति बलाई" दुरुस्त किया जाने का आदेश दिया जाता हैं। रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना आदेश का भाग समझा जावें।

उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।



  
(राजवीर सिंह यादव)  
उपखण्ड अधिकारी  
नीमकाथाना  
उपखण्ड अधिकारी  
नीमकाथाना (सीकर)